'निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान'

महाराष्ट्र चुनाव को लेकर राहुल के दावों पर निर्वाचन आयोग का बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने तीखी प्रतिक्रिया दी है।

निर्वाचन आयोग ने राहुल के दावों को निराधार करार दिया और इसे कानून के शासन का अपमान बताया।

उन्होंने कहा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और मतदाता सूची को लेकर लगाए गए निराधार आरोप कानून के शासन का अपमान हैं।

चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को ही कांग्रेस को भेजे अपने जवाब में ये सभी तथ्य सामने रखे थे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऐसा लगता है कि बार-बार ऐसे मुद्दे उठाते हुए इन सभी तथ्यों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी की ओर से फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि अपने ही राजनीतिक दल की ओर से नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की छवि भी धूमिल करती है।

यह लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल गिराती है, जो चुनाव के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। मतदाताओं की ओर से किसी भी प्रतिकूल फैसले के बाद यह कहकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है।

प्रतिकूल नतीजों पर चुनाव को मैच फिक्सिंग बताना बेतुका, कानून का अपमान : आयोग

महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का पलटवार, कहा-यह हजारों कर्मचारियों को हतोत्साहित करने वाला

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए आरोपों को निर्वाचन आयोग ने कानून का अपमान बताया है। आयोग ने शनिवार को कहा, प्रतिकूल नतीजे आने के बाद चुनाव को मैच फिक्सिंग बताना न केवल बेतुका, बल्कि उन हजारों सरकारी कर्मचारियों को हतोत्साहित करने वाला है, जो कड़ी मेहनत करके मतदाता सूचियों को तैयार करते हैं।

आयोग ने यह बात लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के उस लेख के जवाब में कही, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र राज्य विधानसभा चुनाव को मैच फिक्सिंग करार दिया है। आयोग ने कहा, ऐसे आरोप चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश है। साथ ही, चुनाव प्रक्रिया की शुचिता का हवाला देते हुए सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिए। आयोग ने कहा, पूरे देश को पता है कि मतदाता सूचियां कैसे तैयार होती हैं। इन्हें सरकारी कर्मचारी और दलों के प्रतिनिधि मिलकर तैयार करते हैं। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और साफ-सुथरी होती है। आयोग ने कहा, मतदाता सूचियां जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार तैयार की जाती हैं। चुनाव से पहले या हर साल एक बार मतदाता सूचियों का विशेष सारांश संशोधन किया जाता है। इसकी अंतिम प्रति सभी दलों को भी सौंपी जाती है। महाराष्ट्र में यही प्रक्रिया थी। ऐसे में गलत सूचना फैलाना कानून की अवहेलना के साथ विभिन्न पार्टियों की तरफ से नियुक्त कार्यकर्ताओं का भी अपमान है, जो इनका निरीक्षण करते हैं।

मतदान एजेंटों की मौजूदगी में पड़े वोट

महाराष्ट्र में सुबह 7 से शाम 6 बजे तक 6.4 करोड़ मतदाताओं ने वोट डाले। औसतन प्रति घंटे 58 लाख वोट डाले गए। जबकि अंतिम दो घंटों में 65 लाख वोट पड़े, जो औसत से बहुत कम है। हर केंद्र पर दलों के एजेंटों के सामने वोट डाले गए। वहीं, कांग्रेस ने मतदान के अगले दिन तक आयोग के समक्ष किसी गड़बड़ी का कोई पुष्ट आरोप नहीं लगाया।

किसी दल ने कोई शिकायत नहीं की

आयोग ने कहा, महाराष्ट्र चुनाव के दौरान मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, 9,77,90,752 मतदाताओं के मुकाबले प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (डीएम) के समक्ष केवल 89 शिकायतें आईं। द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी सीईओ के समक्ष केवल एक अपील दायर की गई। साफ है कि चुनाव से पहले कांग्रेस या किसी अन्य राजनीतिक दल को कोई शिकायत नहीं थी।

राहुल फिर बोले-सच से सुरक्षित रहेगी आपकी विश्वसनीयता

राहुल ने चुनाव आयोग के जवाब पर असंतोष जताया। उन्होंने लिखा, आप सांविधानिक संस्था हैं। बिना हस्ताक्षरित और ऐसे टालने वाले नोट जारी करना गंभीर सवालों के जवाब देने का तरीका नहीं है। सच बोलने से आपकी विश्वसनीयता सुरक्षित रहेगी। उन्होंने आयोग को महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों के हालिया लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए समेकित, डिजिटल, मशीन-पठनीय मतदाता सूची प्रकाशित करने और महाराष्ट्र के मतदान केंद्रों से शाम 5 बजे के बाद की सीसीटीवी फुटेज जारी करने की चुनौती भी दी।

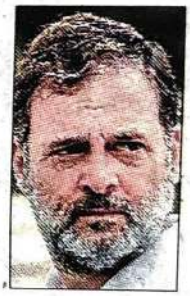

आरोप-बिहार में भी होगी फिक्सिंग

राहुल ने लेख में मतदाता सूची में हेरफेर और फर्जी मतदान से मतों की चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लेख साझा करते हुए कहा, महाराष्ट्र मॉडल अब अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। बिहार में भी मैच फिक्सिंग होगी। फिक्स मैच जैसे चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए जहर हैं।

दैनिक नवज्योति hadoti - 08 Jun 2025 - Page 1

निराधार आरोप कानून के शासन का अपमानः चुनाव आयोग

राहुल गांधी के आरोपों पर दी कड़ी प्रतिक्रिया, कहाः ऐसा कहना लाखों चुनाव कर्मचारियों की मेहनत का निरादर

ब्यूरो/नवज्योति/नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया जाने पर चुनाव आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने तथ्यों के साथ राहुल के आरोपों का खंडन करते हुए कहा है कि आयोग को बदनाम करने के लिए फैलाया गया कोई भी भ्रामक प्रचार कानून और लोकतंत्र का अपमान है और लाखों चुनाव कर्मचारियों की मेहनत का निरादर है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाताओं की ओर से मनमाफिक फैसला न मिलने के बाद आयोग को बदनाम करने की कोशिश करना पूरी तरह से बेतुका है। चुनाव आयोग ने कहा कि किसी की ओर से फैलाई जा रही कोई भी गलत सूचना न केवल कानून के प्रति अनादर का संकेत है, बल्कि अपने ही राजनीतिक दल की ओर से नियुक्त हजारों प्रतिनिधियों की छवि भी धूमिल करती है, यह लाखों चुनाव कर्मचारियों का मनोबल गिराती है, जो चुनाव के दौरान अथक और पारदर्शी तरीके से काम करते हैं। उल्लेखनीय है कि राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि चुनाव कैसे चुराया जाए? महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लोकतंत्र में धांधली करने का ब्लूप्रिंट था, महाराष्ट्र की मैच फिक्सिंग अगली बार बिहार में होगी।

महाराष्ट्र में औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख वोट डाले गए

राहुल के आरोप पर चुनाव आयोग ने बयान जारी कर बताया कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान केंद्र पर पहुंचे 6,40,87,588 मतदाताओं ने मतदान किया। औसतन प्रति घंटे लगभग 58 लाख वोट डाले गए। इन औसत रुझानों के अनुसार, लगभग 116 लाख मतदाताओं ने अंतिम दो घंटों में मतदान किया होगा। इसलिए दो घंटों में मतदाताओं की ओर से 65 लाख वोट डालना औसत प्रति घंटे मतदान रुझानों से बहुत कम है। वहीं प्रत्येक मतदान केंद्र पर उम्मीदवारों या राजनीतिक दलों की ओर से औपचारिक रूप से नियुक्त एजेंटों के सामने मतदान आगे बढ़ाए कांग्रेस के नामित उम्मीदवारों या उनके अधिकृत एजेंटों ने अगले दिन रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव पर्यवेक्षकों के सामने जांच के समय किसी भी तरह के असामान्य मतदान के संबंध में कोई आरोप नहीं लगाया।